न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
638/2025	15.12.2025	07/4/2026

उनवान

1. श्री कपिल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जांगिड निवासी जी–356 आजाद नगर भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. मनोज कुमार पिता जगदीश प्रसाद जांगिड (शर्मा) निवासी एक्सटेंशन 5 सुभाष नगर भीलवाडा (राज0)
2. निर्मला देवी पत्नी मनोज कुमार जांगिड (शर्मा) निवासी एक्सटेंशन 5 सुभाष नगर भीलवाडा (राज0)
3. बक्षु जाट पुत्र गणेश जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रकाश देवाणी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं**

–:: निर्णय ::–

07/04/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश देवाणी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1576/471 रकबा 0.4334 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1579/543 रकबा 0.2178 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6512 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1576/471 रकबा 0.4334 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1579/543 रकबा 0.2178 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6512 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

07/04/2026

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा